न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 16/2024

अनवान : –

1. सुभाष पुत्र रामसिंह जाति मेघवाल निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर।

– **अप्रार्थीगण**

2. सरोज कुमारी पुत्री जैसाराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

– **तरतीबी अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट</u>

उपस्थिति :–**श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी**
पेरोकार राज

<u>निर्णय</u> **दिनांकः** 08/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 252/234 की कुल 0.4940 हैक्ट भूमि मे से 4691/4941 हिस्सा भूमि प्रार्थी के व 250/4941 हिस्सा भूमि तरतीबी अप्रार्थीगण स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी स0 2 उक्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी स0 2 रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 252/231 के प0न0 386/443 मु0न0 69 के किला न0 9/1 के पूर्व से पश्चिम 0.0250 हैक्ट भूमि रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है ताकि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने हेतु रास्ता की सुगमता हो जावे इसलिए प्रार्थी अपने खेत के किला न0 9/1 में मध्य से 0.025 हैक्ट पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करवा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी का अपने खेत में आवागमन हेतु किला न0 9 में रास्ता स्वीकृत करवाने पर खेत से जुड़ने वाले रास्ता में आवागमन हेतु आसानी हो जायेगी तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी अपने खते में आवागमन हेतु रास्ता की सुगमता हो जावेगी।

प्रार्थी ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस[illegible] जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या [illegible] पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। तरतीब अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता इकबाल प्रार्थना पत्र पेश कि[illegible]कर निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:08:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया की प्रार्थना पत्र सायल मुताबिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई ऐतराज नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी स0 2 उक्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी स0 2 रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 252/231 के प0न0 386/443 मु0न0 69 के किला न0 9/1 के पूर्व से पश्चिम 0.0250 हैक्ट भूमि रास्ता स्वीकृत किया जावे। तरतीबी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पेश किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी स0 2 को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 252/234 की कुल 0.4940 हैक्ट भूमि मे से 4691/4941 हिस्सा भूमि प्रार्थी के व 250/4941 हिस्सा भूमि तरतीबी अप्रार्थीगण स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी प0न0 386/443 मु0न0 69 के किला न0 9/1 के पूर्व से पश्चिम 0.0250 हैक्ट भूमि रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। तरतीबी अप्रार्थी सं0 2 द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो तरतीबी अप्रार्थी स0 2 को कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 252/231 के प0न0 386/443 मु0न0 69 के किला न0 9/1 की 0.1720 हैक्ट भूमि में मध्य से पूर्व से पश्चिम 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:08:57 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर